

Regarding increasing human-animal conflict in Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत सरकार की राष्ट्रीय टाइगर कन्जरवेशन अथॉरिटी ने माना है कि देश के कुल टाइगरों की 30 परसेंट संख्या नोटीफाइड वन क्षेत्र के बाहर है। मेरे जनपद खीरी व पड़ोस के जनपद बहराइच और पीलीभीत में पिछले चार वर्षों में 65 से ज्यादा मनुष्यों की वन प्राणियों द्वारा जान जा चुकी है। गन्ने की दस महीने की फसल में सात-आठ महीने में गन्ना काफी बड़ा हो जाता है, जिसे बाघ स्वाभाविक रूप से रहने योग्य मानता है। दुधवा के जंगलों में वर्ष 2008 में आई बाढ़ ने बायो डायवर्सिटी बिगाड़ दी है, जिससे छोटी घास खत्म हो गयी है। इसके कारण छोटे जानवर जंगल से बाहर आये और उनके पीछे बाघ, तेंदुए और अन्य जंगली जानवर शिकार के लिए बाहर आ गए, जहां उनके लिए आवारा पशु आसानी से उपलब्ध हैं। बाघिन गन्ने के खेत में शावकों को जन्म दे रही है और वापस जंगल नहीं जा रही है। किसान और मजदूरों को खेतों में काम करने के लिए दहशत और जान का खतरा बना हुआ है।

मैं मांग करता हूं कि अविलम्ब इस समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाकर मानव-वन प्राणी टकराव रोकें। वन प्राणियों से मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि बढ़ाकर कम से 25 लाख की जाए, पालतू पशुओं व फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाए और वन प्राणियों को पकड़ कर वापस जंगल में छोड़ा जाए। धन्यवाद।